

अंचल अधिकारी रायचंद्र का कार्यालय

अभिलेख वाच संख्या- 59 (X)

जांच का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

9/9/16

झारखण्ड सरकार के आपांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0ग0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

मौजा- पाठकडी थाना- 158 खाता संख्या- 28 प्लॉट संख्या- 03 एकड़- 8.057 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 64 पर जमाबंदी रैयत का.र.र.5 सरकार के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।


प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 25.9.2016 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

  
अंचल अधिकारी

E  
4.9.16

अभिलेख उपस्थापित । तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समाहित नहीं किया जाता है । इस संबंध में अकालु रजपू द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थित जो अभिलेख में संलग्न है । लगान वर्ष 2010-11 तक भुगतान किया गया है ।

मौजा पाठकडीह थाना नं० 158 खता संख्या 28

प्लॉट संख्या 03 रकबा 80 5/8 धूर कुल 80 5/8

धूर भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम पर जमाबंदी दर्ज है । पंजी-11 में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं :-

1. जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया ।
2. लगान निर्धारण / जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा / सादा हुकुमनामा आदि कागजात नहीं पाया गया ।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।


उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है ।

अतः मौजा पाठकडीह थाना नं० 158


खता संख्या 28 प्लॉट संख्या 03 रकबा 80 5/8 धूर कुल  
धूर भूमि जो प्रतिवादी अकालु रजपू के नाम पर पंजी-11 में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदनुसार अभिलेख अग्रोहर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहता, धनबाद को भेजे ।

लेखापित एवं संशोधित

  
27/11/20  
अंचल/अधिकारी

तोपचाँची ।

  
27/11/20  
अंचल/अधिकारी

तोपचाँची ।

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतियोगेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - अकल एजाडकैषियां
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-  
 भोजा            शाना सं०    खाता सं०    प्लॉट सं०            रकबा  
4165बीए - 158 - 28 - 03 - 80.860
3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं० 64 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 93-94
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम - मलिक एजाडकैषियां
6. किस रकम प्राधिकार/पक्षधिकायी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है किसी तरह  
84 no 1(X) 93-94
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नूतान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम - —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान 54 not  
 निर्धारण/अपैध भूबंदोबस्ती - किसी तरह
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (मूलपूर्व जमींदार द्वारा  
 दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	569034	4/11/95	—
2	444554	28/3/10	2010-11

*(Handwritten signatures)*